न्यायालय, जिला मजिस्ट्रेट, सीकर

पीठासीन अधिकारी सी.आर. मीना, आई.ए.एस.

पत्रावली संख्या : 35/2019 अन्तर्गत प्रतिभूति–हित का प्रर्वतन अधिनियम 2002.

दीवान हाऊसिंग फाईनेन्स कॉरपोरेशन लिमिटेड पंजीकृत कार्यालय– वार्डन हाऊस, द्वितीय तल, सर पी. एम. रोड़, फार्ट, मुम्बई–400001 तथा शाखा कार्यालय –302/5, तृतीय तल, जयपुर टावर, एम. आई. रोड़, जयपुर, राजस्थान। ... प्रार्थी

बनाम

1. प्रकाश चन्द शर्मा, निवासी फ्लेट नम्बर 402, खसरा नम्बर 353, पट्टा नम्बर 4489, सिद्धि विनायक, वार्ड नम्बर 36, जयपुर रोड़, राधाकिशनपुरा, सीकर, राजस्थान।
एवं
निवासी वाया व पोस्ट गनेड़ी, तहसील लक्ष्मणगढ़, सीकर, राजस्थान –332029। (ऋणी)
2. निर्मला देवी शर्मा, निवासी वाया व पोस्ट गनेड़ी, तहसील लक्ष्मणगढ़, सीकर, राजस्थान–332029। (सहऋणी)
3. प्रवीण शर्मा, निवासी–छीपों का मोहल्ला, तहसील लक्ष्मणगढ़, सीकर– 332029 राज.। जमानती

...अप्रार्थीगण

The application under section 14 of the securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act. 2002.

निर्णय

निर्णय दिनांकः 20 अगस्त, 2019

1. प्रार्थी वित्तीय संस्था के अधिवक्ता श्री **विक्रम सिंह** द्वारा अधिनियम की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थी ने अप्रार्थीगण **प्रकाश चन्द शर्मा, निर्मला देवी शर्मा, प्रवीण शर्मा** को पुनर्भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में **फ्लेट नम्बर 402, तृतीय तल, खसरा नम्बर 353, पट्टा नम्बर 4489, सिद्धि विनायक, वार्ड नम्बर 36, जयपुर रोड़, राधाकिशनपुरा, सीकर, राजस्थान– 332001** में स्थित है, जिसका कुल बिल्ट अप एरियां 923.97 वर्गफीट है। **जिसकी चारों सीमाएं** निम्न हैं :–

जिला मजिस्ट्रेट, सीकर (राज.)

मजिस्ट्रेट, सीकर

Web Copy - Not Official
Scanned by CamScanner

उत्तर में :— फ्लेट नम्बर 403,
दक्षिण में :— ऑपन सेट बैंक श्री कृष्णा बिन्डर्स /ऑपन टू स्काई,
पूर्व में :— फ्लेट नम्बर 401,
पश्चिम में :— ऑपन सेट बैंक श्री कृष्णा बिन्डर्स/ऑपन टू स्काई,
उक्त सम्पति प्रकाश चन्द शर्मा पुत्र स्व. रामप्रताप शर्मा के पक्ष में जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 02.11.2015 के अनुसार लिखी गई है।

को बंधक रखकर **21,93,405/—**रूपये (अक्षरे रूपये **इक्कीस लाख तिरानवे हजार चार सौ पांच** मात्र) की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। अप्रार्थीगण ऋणी द्वारा प्रार्थी वित्तीय संस्था को ऋण भुगतान करने में असफल रहने पर अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थीगण को दिनांक **18.02.2019** को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किए गये। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी वित्तीय संस्था ने The securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act. 2002. की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने पास बंधक सम्पति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक पुलिस इमदाद उपलब्ध कराने की इस्तदुआ की है।

2. पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर ऋणी को नोटिस जारी किया गया। ऋणी की ओर से कोई उपस्थित नहीं आया।

3. पत्रावली का भली भांति अवलोकन किया गया।

4. प्रकरण में प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा अप्रार्थीगण ऋणी को दिनांक **18.02.2019** को धारा 13(2) का रजिस्टर्ड नोटिस जारी कर समाचार पत्र में प्रकाशित किया गया है, जिसकी फोटो प्रति प्रार्थी वित्तीय संस्थान द्वारा प्रस्तुत की गई है।

5. अतः The securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act. 2002. की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थी वितीय संस्था द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। अप्रार्थीगण **प्रकाश चन्द शर्मा, निर्मला देवी शर्मा, प्रवीण शर्मा** की ओर से प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में बंधक **फ्लेट नम्बर 402, तृतीय तल, खसरा नम्बर 353, पट्टा नम्बर 4489, सिद्धि विनायक, वार्ड नम्बर 36, जयपुर रोड़, राधाकिशनपुरा, सीकर, राजस्थान— 332001 में स्थित है, जिसका कुल बिल्ट अप एरिया 923.97 वर्गफीट है। जिसकी चारों सीमाएं निम्न हैं :—**

मजिस्ट्रेट, सीकर

Scanned by CamScanner

उत्तर में :— फ्लेट नम्बर 403,
दक्षिण में :— ऑपन सेट बैंक श्री कृष्णा बिन्डर्स /ऑपन टू स्काई,
पूर्व में :— फ्लेट नम्बर 401,
पश्चिम में :— ऑपन सेट बैंक श्री कृष्णा बिन्डर्स/ऑपन टू स्काई,
उक्त सम्पति प्रकाश चन्द शर्मा पुत्र स्व. रामप्रताप शर्मा के पक्ष में जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 02.11.2015 के अनुसार लिखी गई है।

का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु पुलिस सहायता उपलब्ध कराने के निर्देश इस शर्त पर दिये जाते हैं कि प्रकरण में किसी न्यायालय द्वारा स्थगन ना हो। उक्त सम्पति का कब्जा दिलाने हेतु पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों के वेतन भत्तों व न्यायालय आदि का भुगतान नियमों में देय है, जो सम्बन्धित बैंक/वित्तीय संस्थान द्वारा वहन किया जावेगा।

आदेश आज दिनांकः 20 अगस्त, 2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सी. आर. मीना)
जिला मजिस्ट्रेट, सीकर
जिला मजिस्ट्रेट, सीकर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Scanned by CamScanner